कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय् राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एस.बी सिविल याचिका संख्या 6812/2014 **श्री श्रवण कुमार मेघवाल** बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-03-2018 की अनुपालना में **श्री श्रवण कुमार मेघवाल** को प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर नियुक्ति, विभागीय आदेश दिनांक : 06-04-2018 के द्वारा तत्समय प्रदान की गई।

माननीय् उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेखितानुसार **"The petitioner would be entitled to Notional Benefits of pay scale and seniority till the date of actual appoitment at par with the persions appointed, who were lower in merit to the petitoner".** के क्रम में याचिकार्थी श्री श्रवण कुमार मेघवाल द्वारा अपना अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया गया जिसमें इनके द्वारा आदेश दिनांक : 13.09.2013 के अनुसार ही स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ कार्मिक के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई। शासन के पत्रांक :: प.17(168)माध्य/शिक्षा–2/वि0प्र0/2018 जयपुर, दिनांक 18-05-2022 के उल्लेखितानुसार, माननीय् उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 16-03-2018 के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर नही किये जाने के स्थायी समिति द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी श्री श्रवण कुमार मेघवाल, प्रधानाध्यापक, Govt. Sec. School kakendra, Sirohi मैरिट नंबर 1582, कार्यग्रहण तिथि – 10.04.2018 का अभ्यावेदन माननीय् राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6812/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक : 16-03-2018 एवं तत्सम्बधी सेवा नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत् नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी से कनिष्ठ वरियताधारी कार्मिक सुनीता कुमारी मीणा (वरीयता क्रमांक – 2067) जन्म तिथि 20-01-1975 का पदस्थापन, इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता कुमारी द्वारा दिनांक 16-09-2013 को कार्यग्रहण किया गया। श्रीमती सुनीता कुमारी मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक : 17.09.2015 को श्रीमती मीणा को नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये

गये। आलोच्य प्रकरण में माननीय् न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी श्री श्रवण कुमार मेघवाल द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण दिनांक : 10.04.2020) से, कनिष्ठ वरियताधारी कार्मिक श्रीमती सुनीता मीणा द्वारा, उक्त तिथि तक प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाभों की **काल्पनिक गणना करते हुए,** उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार, वेतन नियतन किया जाकर, वास्तविक लाभ याचिकार्थी श्री श्रवण कुमार मेघवाल को प्रदान किया जाता है। माननीय् न्यायालय के निर्णयानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगें। अतः नियुक्ति सम्बन्धी मूल आदेश दिनांक 06-04-2018 की निरन्तरता में, एतद् द्वारा उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/सस्था–एबी/ए–2(बी–III)/कोके/या0–6812/2014/श्रवण कु0 दिनांकः 15-07-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय, संभाग पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि, जोधपुर/जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय–हाजा।
11. सम्बन्धित याचिकार्थी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर